

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 700319 / 16

संस्थित दिनांक-17.06.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

विन्द्रावन पुत्र हरीशचंद उपाध्याय उम्र 63 साल
निवासी छीमका थाना गोहद चौराहा

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 28.11.2016 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 12.04.16 को करीब 21:30 बजे पानसिंह तोमर की मार्केट भिण्ड ग्वालियर हाईवे सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्रमांक एम0पी0-30 बी0सी0-0445 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी/आहत द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर अभियुक्त को भादवि0 की धारा 337 का उपशमन किया गया।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि 12.04.16 को फरियादी रामबाबू अपने टेक्टर क्रमांक एम0पी0 एम 1862 व टाली सहित बरथरा जा रहा था उसके साथ उसके चाचा शंकर जाटव टाली में बैठे थे। पानसिंह तोमर छीमका वाले की मार्केट के पास पहुंचे तो ग्वालियर तरफ से एक सूमो कार एम0पी0-30 बीसी 0445 का चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और टेक्टर में पीछे से टक्कर मार दी जिससे उसकी टाली पलट गयी जिससे उसे तथा आहत शंकर को चोटें आई। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप0क्र0-90/16 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, दौरान अनुसंधान आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौक बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, जब्ती कर जब्ती पत्रक, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्त को पद क्र0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य न होने से दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 12.04.16 को करीब 21:30 बजे पानसिंह तोमर की मार्केट भिण्ड ग्वालियर हाईवे सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्रमांक एम0पी0-30 बी0सी0-0445 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में रामबाबू अ0सा0 1, शंकर अ0सा0 2 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

7. फरियादी रामबाबू अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि घटना दिनांक 12.04.16 की रात 9-8:30 बजे की है वे अपने टेक्टर से बरथरा जा रहे थे। उनके चाचा शंकर जाटव टाली में बैठे थे तभी ग्वालियर तरफ से एक कार ने आकर टेक्टर में टक्कर मार दी जिससे टाली पलट गयी और चाचा के सिर व पसली में चोट आई थी, स्वयं उसे भी पीठ में चोट आना बताता है। घटना की रिपोर्ट प्र0पी0 1 थाना गोहद चौराहे में करने का कथन करते हुए उस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर बताते हैं। फरियादी के अतिरिक्त आहत शंकर अ0सा0 2 फरियादी के समान ही उनके टेक्टर में ग्वालियर तरफ से एक कार द्वारा टक्कर मारने का कथन किया है और चोटें आने का कथन किया है किन्तु दोनों साक्षियों ने अभिकथित कार कौनसी, कौनसे नंबर की तथा किसके द्वारा चलाई जा रही थी और किस ढंग से चलाई जा रही थी, इसका कोई कथन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा फरियादी व आहत के कथनों पर अभिलेख से भिन्नता के आधार पर पक्षद्रोही कर सूचक प्रश्न पूछे गए।

8. सूचक प्रश्नों में अभियोजन द्वारा अभिकथित वाहन एम0पी0 30 बीसी 0445 के द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर टेक्टर टाली में टक्कर मार देने का सुझाव दिया गया जिससे साक्षीगण द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार किया गया। फरियादी रामबाबू द्वारा प्राथमिकी प्र0पी0 1 के बी से बी भाग पर अभिकथित कार सूमो नंबर एम0पी0 30 बीसी 0445 तथा पुलिस कथन में भी अभिकथित कार द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर टक्कर मारने के संबंध में इंकार किया है। शंकर अ0सा0 2 ने भी पुलिस कथन प्र0पी0 4 में वाहन नंबर और उसके तेजी व लापरवाही से चलाए जाने का तथ्य लिखाए जाने से इंकार किया है।

9. यह स्थापित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है।
न्यायदृष्टान्त- रवि कुमार वि0 स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 एवं न्यायदृष्टान्त- ए आई आर 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज-1 की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दप्रस के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल

विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है। प्रकरण में फरियादी रामबाबू अ0सा01 द्वारा प्राथमिकी प्र0पी0 1 के विनिर्दिष्ट भाग तथा धारा 161 दप्रस के कथनों क्रमशः प्र0पी0 3 व 4 से साक्षियों द्वारा तात्विक विरोधाभास व लोप का कथन किया है ऐसे में अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है।

10. संहिता की धारा 279 के आरोप को प्रमाणित किए जाने हेतु अभिलेख पर इस संबंध में साक्ष्य होना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा लोकमार्ग पर उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन को चलाया जावे। संपूर्ण अभियोजन साक्षियों जो सर्वोत्तम साक्षी थे, उनके द्वारा अभियुक्त के वाहन चलाए जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया गया है। अभियोजन के सभी साक्षी पक्षद्रोही घोषित कर दिए गए हैं। अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। संदेह का लेशमात्र भी अभियुक्त की घटना में संलिप्तता को खण्डित कर अभियुक्त को संदेह का लाभ दिलाए जाने का आधार होता है। अभियुक्त के आधिपत्य से वाहन के मात्र जब्त हो जाने से यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि उसके द्वारा वाहन लोकमार्ग पर घटना के समय चलाया जा रहा था। अतः अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्तकर दोषमुक्ति का पात्र है। अतः अभियुक्त को धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। धारा 337 दो काउण्ट भादवि0 के आरोप से अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया जा चुका है।

11. अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं, उसके निवेदन पर मुचलके 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

12. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

सही/-

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही/-

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश